मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क परियोजनायें

1504 **श्री अजीत जोगी :**

चौधरी हरि सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी ग्रामीण सड़क परियोजनायें वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश की कोई सड़क परियोजना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए लंबित नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Survey for drinking water in rural areas

1505. SHRI S. AUSTIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the survey report regarding drinking water in rural areas has since been received ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not the reasons for delay in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) to (c) The survey data relating to Part I dealing with status of drinking water in rural habitations has been received from 23 States and 3 Union Territories so far. Part II survey data relating to quality of drinking water has been received from 6 States.

While processing the data a large number of discrepencies were noticed. All the State Governments have been requested to re-verify the data. Corrected data are yet to be received from the State Governments UTs. It has further been decided that complete verification of the 'No Source' main habitations and thrity percent of the other habitations should also be carried out by Independent Agencies.

Women and Child Development Schemes in Tamil Nadu

1506. SHRI S. AUSTIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there has been any decline in the progress rate of Women and Child Development Schemes in rural areas of Tamil Nadu during 1990-91 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) There has been no decline in the progess rate of the scheme of Development of Women and Children in rural areas in Tamil Nadu during the year 1990-91. The progress rate of DWCRA is as under :—

Year	Target No. of groups	Groups formed
1990-91	597	783

(b) Does not arise.

भूमि से संबंधित लम्बित मामलों का निपटारा

1507. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि संबंधी मामलों को प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) 30 अक्तूबर, 1993 तक राज्यवार इस तरह के कितने मामले लम्बित हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं और उनका ब्यौरा क्या-क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) नई दिल्ली में मार्च, 1992 को हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों का शीघ्र निपटान करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व न्यायालयों में मुकदमेंबाजी में फंसी 75 प्रतिशत भूमि को मुकदमेंबाजी से अवश्य मुक्त किया जाए ताकि पात्र भूमिहीन गरीब लोगों को उसका वितरण किया जा सके। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों को उपर्युक्त उपाय करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकारों से संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भूमि न्यायाधिकरण स्थापित करने अथवा उनके परामर्श से विशेष न्यायपीठें गठित करने का भी अनुरोध किया गया था। वास्तव में बिहार, केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भूमि न्यायाधिकरणों की स्थापना हेतु पहले ही कानून बनाए गये हैं। गुजरात तथा महाराष्ट्र में भी भूमि सुधार न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं जबकि बिहार में विशेष न्यायापीठ गठित किए गए हैं और आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय द्वारा भूमि से संबंधित मुकद्दमेंबाजी के मामलों के निपटान के लिए सप्ताह में एक दिन निश्चित किया गया है। राज्य में दो अतिरिक्त प्राथमिक न्यायाधिकरणों और छः पूर्ण कालिक जिला स्तरीय अपील न्यायाधिकरणों का भी गठन किया गया है। इन उपायों के अलावा, राजस्व न्यायालयों में लम्बित 75 प्रतिशत भूमि तथा अन्य न्यायालयों में लम्बित 10 प्रतिशत भूमि को चालू वर्ष के लिए फालतू भूमि के वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों में शामिल किया गया है

राज्यों द्वारा भेजी गई नवीनतम सूचना के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में निपटान हेतु 23936 मामले लम्बित हैं। राज्य-वार सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा

क्रमांक	राज्य का नाम	विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	3396
2	असम	असूचित
3	बिहार	2539
4	गुजरात	1903
5	हरियाणा	असूचित
6	हिमाचल प्रदेश	असूचित
7	जम्मू व कश्मीर	0
8	कर्नाटक	3354
9	केरल	1751
10	मध्य प्रदेश	1556
11	महाराष्ट्र	818
12	मणीपुर	असूचित
13	उड़ीसा	असूचित
14	पंजाब	1735
15	राजस्थान	असूचित
16	तमिलनाडु	537
17	त्रिपुरा	8
18	उत्तर प्रदेश	6282
19	पश्चिम बंगाल	असूचित
20	दादर व नगर हवेली	3
21	दिल्ली	असूचित
22	पांडिचेरी	54
	कुल.	23936

गांवों में पेयजल की उपलब्धता

1508. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार उन गांवों की संख्या कितनी है जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में कितने गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा :

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट में कोई प्रावधान किया है; और